कमिश्नर-कलेक्टर के निर्देश हवा में

निराश्रित गौवंश हो रहे हादसे का शिकार, कागजों में अभियान

नगर और ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे गौवंश

रीवा, 16 जुलाई, झमाझम बारिश के बीच आवारा गौवंश सुरक्षित स्थान के तलाश में सडक़ो पर धमाचौकड़ी मचाते देखे जा रहे है. नेशनल हाइवे से लेकर तमाम मार्गो में गौवंश बैठे नजर आते है. कलेक्टर के आदेश का पालन नही हो रहा है न ही निराश्रित गौवंशो को हटाने का अभियान चल रहा है और न ही पशु पालको के खिलाफ जुर्माना और एफआईआर की कार्यवाही हो रही है.

कलेक्टर का आदेश केवल कागजो तक ही सीमित रह गया है. मजे की बात तो यह है कि शहर के अंदर सैकड़ो गौवंश घूमते नजर आ रहे है. वर्षाकाल शुरू होते ही निराश्रित गौवंश एवं अन्य पशु सूखे स्थान की तलाश में सडक़ों में आश्रय लेते हैं, सडक़ों में गौवंश बड़ी दुर्घटना का कारण बनते हैं इसमें वाहन सवारों को नुकसान पहुंचने के साथ गौवंश को भी क्षति होती है. सडक़ों से गौवंश को हटाकर वाहन दुर्घटनाओं को रोकने और गौवंश को सुरक्षित करने के उद्देश्य को पूरा करने कलेक्टर ने निर्देश जारी किये है. लेकिन निर्देशो का पालन मैदानी स्तर पर नही हो रहा है.

कलेक्टर के निर्देश के मुताबिक सडक़ो से निराश्रित गौवंश को हटाने का अभियान चलाया है. लेकिन निर्देश केवल बैठक और कागज तक ही सीमित है. नेशनल हाइवे सहित सभी मार्गो में गौवंश धमाचौकड़ी मचा रहे है और हादसे का शिकार हो रहे है. सड़को पर गौवंश को छोड़ने वालो के खिलाफ जुर्माने के साथ एफआईआर दर्ज की जानी है पर कही भी कोई कार्यवाही नही हो रही.

शहर में भी आदेश पर अमल नही

कलेक्टर द्वारा दिये गये आदेश एवं कमिश्नर के निर्देश का पालन ग्रामीण क्षेत्र तो छोडिए शहर में भी नही हो रहा है. नगर निगम क्षेत्र अन्तर्गत निराश्रित गौवंश घूम रहे है. बाजार एवं आवाजाही वाले क्षेत्रो में धमाचौकड़ी मचाते गौवंश दिख जाते है. एक नही बल्कि झुंड में शहर की सडक़ो पर बैठे रहते है पर आला अफसरो के आदेश का पालन जब उनके नाक के नीचे नही हो रहा तो कैसे माना जाय कि ग्रामीण क्षेत्रो में होता होगा. कलेक्टर-कमिश्नर के सख्त निर्देश के बावजूद शहर में आवारा गौवंश को पकड़ कर गौशाला में लेकर जाने एवं पशु पालको के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नही हो रही है.

गुना के 6 पारदी गिरोह गुजरात में गिरफ्तार

गुना. मध्यप्रदेश के गुना जिले के पारदी गिरोह के बदमाशों ने गुजरात के अहमदाबाद शहर में चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस की सटीक कार्रवाई से उनके मंसूबों पर पानी फिर गया.

अहमदाबाद के सोला हाईकोर्ट व नरोड़ा थाना क्षेत्र में हुई तीन बड़ी चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए गुजरात पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सरगना सहित छह आरोपियों को धरदबोचा है. इनकी गिरफ्तारी रेलवे स्टेशन के पास की गई, जहां ये भागने की फिराक में थे. गिरफ्तार आरोपियों में पवन उर्फ भुवन उर्फ जड़िया पारदी (40), सचिन उर्फ देवराज (20), परषोत्तम उर्फ वीर प्रताप (21), सागर उर्फ कालिया, रामलाल उर्फ बापू और करण पारदी शामिल हैं. ये सभी गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र के खेजरा व कनारी गांव के निवासी हैं.

पुलिस के अनुसार ये लोग वारदात से पहले इलाके में कुछ दिन रहकर टोह लेते थे और फिर सुनसान मकानों को निशाना बनाते थे. फिलहाल पुलिस गिरोह के फरार सदस्यों की तलाश कर रही है और इनके विरुद्ध बीएनएस-2023 की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है. पारदी गिरोह के अपराध की जड़ें अब राष्ट्रीय स्तर पर गहराई तक फैलती दिख रही हैं.

पूर्व वीसी 35 लाख तो सरकार दे 5 लाख का हर्जाना

महिला के शारीरिक शोषण का मामला

ग्वालियर. देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित खेल शिक्षण संस्थान में कार्यरत एक योग टीचर के साथ शारीरिक शोषण मामले में एलएनआईपीई के पूर्व कुलपति दूरेहा को हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 35 लाख रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश दिया है.

जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के ने फैसले में कहा कि संस्थान की ही महिला शिक्षक ने दुरेहा पर मानसिक और शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया. लंबी लड़ाई के बाद जांच कमेटी बनी, जिसने जांच में दुरेहा को दोषी माना. इसके बावजूद एलएनआईपीई ने इस मामले की अनदेखी की. ऐसे व्यक्ति के हाथों में संस्थान का प्रशासनिक जिम्मा देकर रखा, जो किसी भी काम के योग्य नहीं. हाई कोर्ट ने एलएनआईपीई पर एक लाख रुपये की कॉस्ट लगाई है. इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन को पीड़िता को 5 लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है.

महिला प्रशिक्षक का कहना था कि कार्रवाई के लिए वो 2019 से अब तक 50 आवेदन दे चुकी हैं. शोषण के कारण एक महिला शिक्षक ने नौकरी तक छोड़ दीं. दुष्कर्म और छेड़छाड़ का केस भी दर्ज हुआ. एडवोकेट योगेश चतुर्वेदी ने बताया कि एलएन आईपीई में कार्यरत महिला प्रशिक्षक ने सबसे पहले 2019 में तत्कालीन कुलपति की शिकायत की.

महिला शिक्षिका ने पूर्व वीसी पर लगाए थे गंभीर आरोप

उन्होंने बताया कि महिला शिक्षिका ने गंभीर आरोप लगाया कि डॉ. दुरेहा उस पर शारीरिक संबंध बनाने दबाव बना रहे हैं. उसके द्वारा मना करने पर नौकरी से निकालने और करियर चौपट करने की धमकी देते हैं. महिला ने पुलिस में भी शिकायत की, लेकिन जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, तो सुप्रीम कोर्ट की शरण ली. वहां से संरक्षण मिलने के बाद याची हाईकोर्ट मे याचिका दायरे कर शिक्षण संस्थान में सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण प्रदान करने व कानून के अनुसार, क्षतिपूर्ति दिलाने की गुहार लगाई.

चंबल रेत खनन मामला एनजीटी को भेजा

ग्वालियर. चम्बल नदी में अवैध रेत खनन पर दायर जनहित याचिका को ग्वालियर हाईकोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. याचिकाकर्ता ने बताया कि खनन से अभी तक 75 जानें जा चुकी है. घड़ियाल अभ्यारण्य इलाके में पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है. हाईस्पीड डम्परों के कारण सड़क दुर्घटनायें बढ़ रही है. न्यायालय ने केन्द्र सरकार को भी पक्षकार बनाया है. ग्वालियर के अधिवक्ता अवधेशसिंह तोमर ने जून 2025 में यह जनहित याचिका दायर की थी. चम्बल नदी में लम्बे समय से अवैध रेत खनन चल रहा है.

तहसीलदारों को न्यायालय और गैर न्यायालय में बांटने का विरोध

ग्वालियर. तहसीलदारों की पदस्थापना को लेकर मोहन कैबिनेट के एक माह पुराने फैसले का प्रदेश के तहसीलदार विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस फैसले से लोगों को सुविधा मिलने की बजाय दिक्कत बढ़ेगी. कुछ जिलों में कलेक्टरों ने कैबिनेट के फैसले के आधार पर आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसे वापस लेने की मांग की जा रही है. ऐसा न करने पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार 21 जुलाई से काम बंद करेंगे. कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार कैडर के अफसरों के बीच न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्य विभाजन का विरोध किया है. संघ ने कहा है कि अफसरों के बीच इस तरह का विभाजन किसी स्टडी, किसी समिति की सिफारिश और पारदर्शी मापदंड को अपनाए बगैर किया जा रहा है. इसका कोई ठोस और तार्किक कारण भी नहीं है. इस तरह के निर्णय से कार्यक्षमता कैसे बढ़ेगी? गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए संभागीय मुख्यालयों के जिलों में 14 और अन्य जिलों में 8 तहसीलदार और नायब तहसीलदार चिन्हित करने का काम किस आधार पर किया गया है.

मोबाइल पर गेम खेल रहे युवक का पत्थर से फोड़ा सिर

इंदौर. परदेशीपुरा क्षेत्र में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. एक युवक ने गाली-गलौज के बाद पास पड़ा पत्थर उठाकर दूसरे युवक के सिर पर दे मारा, जिससे वह लहूलुहान हो गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरु की.

परदेशीपुरा थाना क्षेत्र स्थित जनता क्वार्टर शिवालय लाइब्रेरी के पास हुए विवाद में युवक पर पत्थर से हमला कर घायल कर दिया गया. घायल युवक की पहचान अनिकेत पिता राजेंद्र निवासी परदेशीपुरा के रूप में हुई है.

पैरामेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर रोक

जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन व जस्टिस दीपक खोत की विशेष युगलपीठ ने प्रदेश के पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता व प्रवेश प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

युगलपीठ ने मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पैरामेडिकल कॉलेजों को मान्यता प्राप्त होने के पूर्व ही कोर्स प्रारंभ हो गया. ऐसी पागलपन वाली नीतियां कौन बनाता है. याचिका पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गयी है. ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन द्वारा नर्सिंग मामले पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पिछली सुनवाई में एक आवेदन पेश किया गया था. इसमें कहा गया था कि नर्सिंग की तरह पैरामेडिकल कॉलेज के मान्यताओं में भी अनियमितताएं की जा रही हैं.

एमपी पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा एकेडमिक सत्रों 2023-24 एवं 2024-25, की मान्यता भूतलक्षी प्रभाव से प्रदान की जा रही है. मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किए सरकारी व निजी पैरामेडिकल कॉलेजों के द्वारा अवैध रूप से छात्रों के प्रवेश दिए जा रहे हैं. नर्सिंग घोटाले की जांच में जिन कॉलेजों को सीबीआई ने अनसूटेबल बताया है, उन्हीं भवनों में पैरामेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे है.

याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 और 2024-25 समाप्त होने के बावजूद भी प्रदेश में संचालित 150 से अधिक पैरामेडिकल कॉलेजों को मान्यता व दाखिले की अनुमति 2025 में प्रदान की गयी है. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने केंद्रीय पैरामेडिकल काउंसिल को समाप्त कर दिया था. इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर उसे बहाल कर दिया गया. युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे नीतियां कौन बनाता है. कुछ तो गडबडी है कि मान्यता मिलने से पहले अपना कहना है कि कोर्स प्रारंभ हो गया है. इसे हम पागलपन करते है और पागलपन के प्रक्रिया में खडे है.

शिवपुरी में परमाणु ऊर्जा संयंत्र

शिवपुरी. ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही शिवपुरी जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी. इसके लिए सर्वे भी पूरा कर लिया गया है.

ये संभवत पहली बार होगा कि राज्य में बिजली उत्पादन के लिए इतने बडे पैमाने पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे. प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ रही है. ऐसे में अब न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट से बिजली की मांग की पूर्ति की जाएगी. मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन के लिए सरकार विभिन्न स्त्रोतों का उपयोग कर रही है. अब प्रदेश की बिजली की जरूरत को पूरा करने के लिए सोलर के अलावा चार शहरों में न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी शुरू हो गई है. शिवपुरी में एनटीपीसी द्वारा ये प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा. इसके लिए जहां एनटीपीसी सक्रिय हो चुकी है वहीं राज्य शासन ने परमाणु परियोजनाओं की स्थापना में सहयोग के लिए समिति का गठन पहले ही कर दिया है. समिति भूमि अधिग्रहण और जमीन खरीदने, जल उपलब्धता व आवंटन के लिए समन्वय का काम देख रही है.

मानव तस्करी : 20 नाबालिग रेस्क्यू

विदिशा, 16 जुलाई. रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरपीएफ और सोशल वेलफेयर सोसाइटी की संयुक्त कार्रवाई में 20 नाबालिग बच्चों को साड़ी फैक्ट्रियों में काम कराने ले जाते समय रेस्क्यू किया गया.

सभी बच्चे बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं और इन्हें मुंबई होते हुए सूरत ले जाया जा रहा था. सोशल वेलफेयर सोसाइटी की दीपा शर्मा ने बताया कि सूचना के आधार पर रातभर स्टेशन पर निगरानी रखी गई. सुबह करीब 5 बजे ट्रेन पहुंचने पर चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया और 34 यात्रियों को उतारा गया, जिनमें से 20 बच्चे नाबालिग निकले. कार्रवाई के दौरान 6 तस्कर पकड़े गए, जबकि कुछ मौके से फरार हो गए. कुछ बच्चों को आगे के स्टेशनों पर रेस्क्यू किए जाने की जानकारी भी सामने आई है. बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा और संप्रेषण गृह में अस्थायी रूप से रखा जाएगा. फिलहाल जीआरपी थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह की टीम पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि मानव तस्करी के पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके.

दो युवकों को वाहन ने रौंदा

महाकाल दर्शन कर लौट रहे थे, एक की मौत, एक घायल

इंदौर. उज्जैन से महाकाल दर्शन कर लौट रहे दो युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए. धरावरा गांव स्थित गोशाला के सामने अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाहीपूर्वक तेज रफ्तार में वाहन चलाते हुए बाइक सवारों को टक्कर मार दी.

हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना देर रात की है. मृतक की पहचान 25 वर्षीय सचिन पिता हरी सिंह निवासी बगोदा के रूप में हुई है, जो अपने साथी के साथ बाइक पर उज्जैन से दर्शन कर लौट रहा था. जब दोनों धरावरा के समीप पहुंचे, तभी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. दुर्घटना में सचिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में बेटमा पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है, वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा दिया.

अनियंत्रित होकर ऑटो पलटा, मौत

चालक सहित 4 घायल

दमोह. जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलाई चौकी, हरसिद्धि माता मंदिर के समीप बुधवार सुबह एक तीन पहिया अनियंत्रित होकर पलट जाने से ऑटो में सवार दंपति सहित 4 से 5 सवार बुरी तरह घायल हो गए.

जिन्हें उपचार के लिए तत्काल दमोह जिला अस्पताल लाया गया. बता दें कि इलाज कराने बांदकपुर जा रहे गोकुल पिता शंकु राज गौड़ उम्र करीब 56 वर्ष निवासी रामपुर को डॉक्टर ने ईसीजी कराकर मृत घोषित कर दिया. वहीं ऑटो रिक्शा में मौजूद गुलाब बाई उम्र करीब 50 वर्ष का इलाज जारी है, चालक सहित दो से तीन और सवार घायलों का उपचार चल रहा है. गोकुल के शव का पंचनामा करने बिलाई चौकी प्रभारी मलखान सिंह, आरक्षक प्रशांत ने जिला अस्पताल पहुंचकर पोस्टमार्टम कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द किया और मर्ग कायम कर जांच में लिया. वहीं ऑटो रिक्शा को पुलिस ने फिलहाल जप्त किया है और अग्रिम कार्रवाई शुरू करदी है.

भाजपा नेता की गाड़ी में मिली 20 पेटी शराब

जबलपुर. आबकारी वृत्त सिहोरा मझौली अंतर्गत मप्र आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर पौड़ी-मझौली मार्ग पर रात लगभग 11 बजे कार्रवाई की. मझौली भाजपा युवा मोर्चा पश्चिम मंडल के कार्यालय मंत्री प्रशांत राय उस समय विवादों में घिर गए जब उनकी आल्टो के 10 कार (क्रमांक एम पी 20 सीजी 3453) से 20 पेटी (180 बल्क लीटर) देशी शराब बरामद की गई. जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य 5 लाख है. वाहन में बड़ी मात्रा में अवैध मदिरा मिलने पर आबकारी टीम ने कार्यवाही में तत्काल मप्र आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क व 34(2)का प्रकरण दर्ज करते हुए प्रशांत राय को हिरासत में लिया है.

नाबालिग से 2 युवकों ने किया दुष्कर्म

घरों में झाड़ू पोछा का करती थी काम

शिवपुरी. शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज एक 15 वर्षीय नाबालिग शिकायत लेकर पहुंची कि कोलारस के रहने वाले दो युवकों ने मुझको किडनेप कर जंगल में ले जाकर बलात्कार किया.

वहीं आरोपी द्वारा बलात्कार कर मुझे वहां अकेला छोड़कर भगा दिया गया तथा मुझे धमकी दी गई कि तूने किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा. जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 22 कस्बा कोलारस थाना की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग ने बताया कि मैं गरीब परिवार की रहने वाली हूं और मैं अपनी मां के साथ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा लगवाने जाती हूं जिससे हमारे घर का गुजारा चलता रहता हैं. रात्रि करीब 8.30 बजे में अपने घर का सामान लेने के लिए बाजार जा रही थी. कोलारस के निवासी गुजरी मोहल्ले के पास छोटू कुशवाह पुत्र हरिशंकर कुशवाह निवासी रामकापुरा भाईजी का कुआं कोलारस दत्ते कुशवाह निवासी तालाब पार कोलारस मिले और उन्होंने सीधे मेरे पास आकर मेरे मुंह पर कपड़ा लगाते हुए मेरा अपहरण कर लिया और मोटरसाइकिल पर ले गये. वहीं पीड़िता ने बताया कि रेल की पटरी के पास वेयर हाउस के नजदीक के खेत में ले गये और मेरे साथ छोटू कुशवाह ने जबरदस्ती कीतो उसने चिल्लाया उस पर उन दोनों ने मारपीट कर उसके साथ बलपूर्वक बलात्कार कर उसको बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गये.

सुविधा — मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्रालि के बीच अनुबंध

अब चित्रकूट में श्रद्धालुओं को मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं

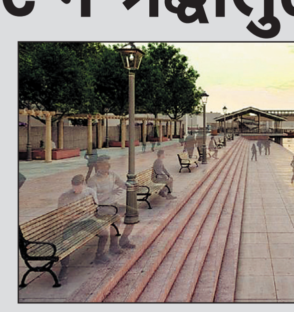

भोपाल, 16 जुलाई. मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड और मुंबई की मेसर्स सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण अनुबंध हुआ.

इस अनुबंध के माध्यम से जिला सतना में मां मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट में विभिन्न विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण के कार्य होंगे, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेंगे. प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला के मार्गदर्शन और अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड बिदिशा मुखर्जी की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की योजना शाखा के प्रमुख संयुक्त संचालक प्रशांत सिंह बघेल और मेसर्स सावनी हेरिटेज कंजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई की ओर से जीतेश कुमार ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. इस प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट शिल्पा शर्मा और मेसर्स आईपीई ग्लोबल के सीनियर आर्किटेक्ट निल्विन राफेल ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया.

अपर प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड बिदिशा मुखर्जी ने बताया कि चित्रकूट में कलेक्टर की अध्यक्षता में डीएमसी का गठन किया जा चुका है और भविष्य में एक डीएमओ की स्थापना की जाएगी, जो योजना, प्रचार-प्रसार एवं संचालन के कार्यों का उत्तरदायित्व निभाएगी. इस अनुबंध के माध्यम से चित्रकूट में मंदाकिनी तट पर राघव घाट, भरत घाट एवं विश्राम घाट का उन्नयन, सौन्द्रर्यीकरण एवं सात्विक रसोई, प्रवेश द्वार, साईनेज बोर्ड, टायलेट, सुवेनियर शॉप, वीडियो एलईडी वॉल, टाइमलाइन वॉल, स्कल्पचर गार्डन, नियंत्रण कक्ष, प्रोजेक्शन मैपिंग, साइट डेवलपमेंट आदि कार्य होंगे.

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजनांतर्गत प्रोजेक्ट चित्रकूट में आध्यात्मिक घाट अनुभव की स्वीकृति प्राप्त हुई थी. मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा उक्त प्रोजेक्ट के पीपीपी मोड में क्रियान्वयन एवं 9 वर्षों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु निविदाएं जारी की गई थीं. परियोजना के क्रियान्वयन की विशेषता यह है कि निविदा कर्ता को परियोजना के निर्धारित कम्पोनेंटस के अतिरिक्त स्वयं के व्यय पर पर्यटन बोर्ड, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष व कलेक्टर की अनुमति के बाद अन्य विशिष्ट अनुभव विकसित करने की स्वतंत्रता होगी. 9 वर्षों तक संचालन एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व अनुबंधित संस्था के पास होने से कार्यों में गुणवत्ता पूर्ण क्रियान्वयन किया जाएगा.

पार्षद पुत्र का 50 करोड़ की जमीन पर कब्जा

रहवासियों ने कलेक्टर से की शिकायत

ग्वालियर, 16 जुलाई. शहर के वार्ड 19 से भाजपा पार्षद कमलेश बलवीर तोमर के बेटे छोटू तोमर पर नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण का आरोप लगे है.

वार्ड 19 के ही स्थानीय रहवासियों ने इसकी शिकायत ग्वालियर कलेक्टर कार्यालय में की है. शिकायत में जमीन की अनुमानित कीमत करीब 50 करोड़ रुपये बताई गई है. छोटू तोमर ने पुरानी रेलवे लाइन पटरी रोड पर नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराया, जिससे आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए हैं. इससे पहले डीडी नगर में सीवर टैंक पर निर्माण की भी शिकायत सामने आ चुकी है. नगर निगम उपायुक्त अतिबल सिंह यादव ने भी शिकायत की पुष्टि करते हुए कहा कि छोटू तोमर के खिलाफ पहले से कई शिकायतें और आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

कलेक्टर के पास दो वर्षों से लंबित शिकायत

उन्होंने बताया कि बीते डेढ़-दो वर्षों में कलेक्टर कार्यालय और निगम को पार्षद पुत्र के खिलाफ लगातार शिकायतें मिलती रही हैं. यादव ने छोटू को भू-माफिया बताते हुए कहा कि कलेक्टर कार्यालय द्वारा दो बीघा सरकारी भूमि को खाली कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. रहवासियों द्वारा दिए गए दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू हो चुकी है और नगर निगम ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं.